भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 724
उत्तर देने की तारीख 21.07.2022

एमएसएमई क्षेत्र में रचनात्मकता और उद्यमिता

724. श्री संजय काका पाटीलः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में रचनात्मकता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार, डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) की सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने रचनात्मकता, नवप्रवर्तन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई पहलें की हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में स्व-रोजगार या उद्यमिता पर विचार करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), एमएसएमई चैंपियंस स्कीम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) शामिल हैं।

(ग) और (घ): दिनांक 10.03.2022 को शुरू की गई एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के एमएसएमई नवप्रवर्तन घटक के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र में नवप्रवर्तन, डिज़ाइन और बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 34.00 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 के अंतर्गत 257 विचारों, 1196 ट्रेडमार्कों की प्रतिपूर्ति, 186 पेटेंट, 53 डिजाइन और 11 भौगोलिक संकेत (जीआई) अनुमोदित किए गए हैं।

*****